नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 125–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय ,शिलांग) वर्ग 'ग' पद (भर्ती नियम2004 , को, जहां तक उनका संबंध ड्राफ्ट्स्मैन ग्रेड-। के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय ,शिलांग में ड्राफ्ट्स्मैन ग्रेड-। के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ,अर्थात्-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ) :1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय ,शिलांग ,ड्राफ्ट्स्मैन ग्रेड-।) समूह 'ग' पद (भर्ती नियम2022 , है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा ,अर्हताएं आदि :उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. SSनिरर्हता :वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं ,उन्हें लेखबद्ध करके ,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ड्राफ्ट्स्मैन ग्रेड-I	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित ,अनुसचिवीय	लेवल-5 (29200 - 92300/- रु.)

चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण-1:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन में दी गई तारीख होगी।	**अनिवार्यः** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा , या, किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्स्मैनशिप में प्रमाणपत्र ,और, ऑटोकैड) AutoCAD (पर एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के किसी भी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों या अर्ध-सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठनों में प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण :1**-अर्हताएं ,अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार	लागू नहीं होता

		शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण :2**-अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

परिवीक्षा की अवधि ,यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** ट्रेसर के समूह 'ग' फीडर पद के अधिकारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल-3 (21700-69100 रुपये) में पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा की है और निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं: (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में सर्टिफिकेट कोर्स; (ii) ऑटोकैड पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ

		राज्य-क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या वैधानिक या स्वायत्त या अर्ध सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारी (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों, या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (25500-81100/-रुपये) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-3 के वेतनमान (21700-69100/-रुपये) में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में सर्टिफिकेट। (ii) ऑटोकैड के क्षेत्र में अनुभव। **टिप्पण-1:** फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय - अध्यक्ष; 2. आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग में अवर सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी - सदस्य; 3. कार्यकारी अभियंता (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग -सदस्य। **समूह ग विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -** 1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय: -अध्यक्ष; 2. आयकर आयुक्त कार्यालय, शिलांग में अवर सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी -सदस्य 3. कार्यकारी अभियंता (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. NEC-17/2/2022-O/o US (NEC)]

संदीप सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Draftsman Gr. I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draftsman Grade I in the North Eastern Council Secretariat, Shillong under the Ministry of Development of North Eastern Region, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Draftsman Grade I (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

` **6. Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Draftsman Grade I	02* (2022) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Ministerial	Level 5 (Rs. 29200-92300/)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** (i) Diploma in Civil Engineering from the recognized University or Institute; or, (ii) Certificate in Draughtsmanship from an Industrial Training Institute; and (iii) one year's experience on AutoCAD. **Desirable:** At least one year's experience in the relevant field in any organization of the Central Government, State Governments or Union territory Administration or in public sector undertakings or recognized research institutions, Universities or semi-Government or statutory or autonomous organizations. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable

	Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	**Promotion:** From amongst officials in the Group 'C' feeder post of Tracer who have rendered ten years of regular service in the post in level 3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix and possessing the following educational qualifications: (i) certificate course in Draughtsmanship from an Industrial Training Institute; (ii) successfully completed training on AutoCAD. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** From officers under the Central Government or State Governments or Union territory administration or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions or statutory or autonomous organizations or Semi Government (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of level 3 in pay matrix (Rs. 21700-69100/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:

		(i) Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institute or Certificate in Draughtsmanship from an Industrial Training Institute. (ii) Experience in the field of AutoCAD. **Note 1:** The departmental Officers in the Feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director or Deputy Secretary (Administration) North Eastern Council Secretariat -Chairman 2. Officer of the level of Under Secretary or above in the Commissioner of Income Tax Office, Shillong -Member 3. Executive Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat, Shillong -Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat -Chairman 2. Officer of the level of Under Secretary or above in the Commissioner of Income Tax Office, Shillong – Member 3. Executive Engineer (Civil), North Eastern Council Secretariat, Shillong -Member.	Not applicable.

[F. No. NEC-17/2/2022-O/o US (NEC)]

SANDEEP SINGH, Dy. Secy.